न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 584/2020 जीसीएमएस संख्या 2020/00480

1. हरपाल सिंह पुत्र मामन सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुतिना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान ।

—अपीलांट

बनाम

1. तारा देवी पत्नि तेजपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुतिना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान ।
2. करण सिंह पुत्र तेजपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुतिना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान ।
3. मोहन सिंह पुत्र तेजपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुतिना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान ।
4. मन्जू कंवर पुत्री तेजपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुतिना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।
5. पूनम कंवर पुत्री तेजपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुतिना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान ।

—असल रेस्पोडेन्टस

6. मन्जू कंवर पत्नि मेनपाल सिंह,
7. आरती पुत्री मेनपाल सिंह,
8. नवीन पुत्र मेनपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुतिना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान ।
9. मिथलेश पुत्री मामनसिंह, जाति राजपूत, निवासी कुतिना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान ।
10. सरपंच ग्राम पंचायत कुतिना, पंचायत समिति नीमराना, जिला अलवर।
11. तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर।
12. उपपंजीयन नीमराना, जिला अलवर।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नीमराना, जिला अलवर जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 18/2018 निर्णय दिनांक 10.12. 2019 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 460 में अपीलान्टान के साथ–साथ असल–रेस्पोडेन्ट का नाम सम्मान भाग दर्ज करने के आदेश दिये गये जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है व अन्य दादरसी ।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौडवकील अपीलान्ट
2. श्रीबनवारी शर्मावकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 5 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –12.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नीमराना जिला अलवरके निर्णय दिनांक 10.12.2019के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कुतीना द्वारा वाके ग्राम कुतीना तहसील नीमराना में स्थित खसरा नम्बर 213/0.54, 471/0.11, 486/0.25, 492/0.15, 82/0.01, 606/0.32, 611/0.32, 711/0.24, 59/0.67, 487/0.11, 509/0.34, 510/ 0.11, 703/0.13, 704/0.11, 63/1.92, 498/0.42, 501/0.47, 712/0.12, 718/0.28, 719/0.18, 488/0.20, 714/0.11, 715/0.01, 41/0.003, 46/ 0.42, 47/1.23, 481/0.24 हैक्टे. भूमि में मृतक मामनसिंह पुत्र माधोसिंह की विरासत नामान्तरकरण संख्या 460 खोले जाने पर इसकी अपील उपखण्ड अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार नीमराना को रिमाण्ड कर उभयपक्षकारान की सुनवाई कर पुनः विधिक निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् तहसीलदार नीमराना द्वारा दिनांक 10.12.2019 को मृतक मामनसिंह के सही वारिसान हरपालसिंह पुत्र मामनसिंह हि. 1/4, मिथलेशदेवी पुत्री मामनसिंह हि. 1/4, तारादेवी पत्नि तेजपालसिंह, कर्णसिंह मोहनसिंह पि. तेजपालसिंह, मंजूकंवर पूनमकंवर पुत्रियान तेजपालसिंह हि. 1/4 समान भाग, मन्जू पत्नि मैनपालसिंह, नवीनसिंह पुत्र मैनपालसिंह, आरती पुत्री मैनपालसिंह हि. 1/4 समान भाग कौम राजपूत दर्ज करने के आदेश दिए गये।

3. तहसीलदार नीमराना जिला अलवरके उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट हरपाल सिंह पुत्र मामन सिंहद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नीमराना जिला अलवरके निर्णय दिनांक 10.12.2019 निरस्त कर इन्तकाल संख्या 460 दिनांक 20.07.2001को बहालकिये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना मे कोई नोटिस वगै0 जारी न कर केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। तहत न्यायालय की निर्णय दिनांक 10.12.2019 अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को वगैर नोटिस व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा मे पारित किया गया है। विरासत का इन्तकाल मेनपाल सिह के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच करने के पश्चात् इन्तकाल संख्या 460 दिनांक 20.07.2001 नियमानुसार दर्ज व तस्दीक किया गया था। जिस इन्तकाल की जानकारी असल–रेस्पोडेन्ट को पूर्ण रूप से थी। चूंकि उनका कोई हक व हिस्सा उक्त आराजी मे नही था । इसलिए उन्होने वक्त दर्ज किए जाने इंतकाल किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही किया । इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात् करीब 5 साल बाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की। जिस अपील का निर्णय एकतरफा में करा लिया गया। मृतक मामन सिंह के आराजी से असल रेस्पोडेन्ट का व उनके पिता का कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नही था क्योकि तेजपाल सिंह अपने ताऊ जगरूप के पास गौत चला गया था और उसके पास ही रहने लगा तथा जगरूप की चल व अचल सम्पति पर काबिज रहा व आज भी उसके वारिसान जगरूप की चल व अचल सम्पति पर काबिज है । इसलिए

मामन सिंह का जायदाद से उसका कोई सम्बन्ध नही रहा । लेकिन उक्त तथ्य की तहत् न्यायालय में कोई जांच नही की गई । मृतक मामन सिंह द्वारा दिनांक 21.04.1999 को एक वसीयत मिन अपीलान्ट संख्या 1 व अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता मेनपाल सिंह के पक्ष में की गई। जो वसीयत नोटेरी पब्लिक से 21.04.1999 को तस्दीक कराई गई और गवाहान की गवाही भी कराई गई। जिस पर मामन सिंह का फोटो भी चस्पा किया हुआ है। इस प्रकार इस वसीयत के पश्चात् मामन सिंह की जायदाद से असल–रेस्पोडेन्ट के पिता तेजपाल सिंह का कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नही रहा । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नीमराना जिला अलवर दिनांक 10.12.2019 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के खातेदार मृतक मामनसिंह पुत्र माधोसिंह कौम राजपूत की विरासत मैनपालसिंह हरपालसिंह पि० मामनसिंह कौम राजपूत के पक्ष में इन्तकाल नम्बर 460 निर्णय दिनांक 20.07.2001 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी के होने पर रिमाण्ड कर पुनः विधिअनुरूप समस्त वारिसान के नाम नामा0 दर्ज करने के आदेश की पालना में तहसीलदार अलवर द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके मुताबिक मृतक मामनसिंह के तीन पुत्र क्रमशः तेजपालसिंह (मृतक), हरपालसिंह, मैनपालसिंह (मृतक) एवं एक पुत्री मिथलेशदेवी हैं। मृतक तेजपालसिंह के वारिसान क्रमशः तारादेवी (पत्नि), कर्णसिंह (पुत्र), मोहनसिंह (पुत्र), मंजूकंवर (पुत्री), पूनमकंवर (पुत्री) हैं एवं मृतक मैनपालसिंह के वारिसान क्रमशः मन्जू (पत्नि), नवीनसिंह (पुत्र), आरती (पुत्री) हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं न्यायालय के निर्णय की पालना करते हुये नामान्तरण मृतक मामनसिंह के सही वारिसान के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। पटवारी हल्का कुतीना की रिपोर्ट मुताबिक मृतक मामनसिंह पुत्र माधोसिंह के वारिसान मात्र मैनपालसिंह व हरपालसिंह ही ना होकर हरपालसिंह पुत्र मामनसिंह हि. 1/4, मिथलेशदेवी पुत्री मामनसिंह हि. 1/4, तारादेवी पत्नि तेजपालसिंह, कर्णसिंह मोहनसिंह पि. तेजपालसिंह, मंजूकंवर पूनमकंवर पुत्रियान तेजपालसिंह हि. 1/4, मन्जू पत्नि मैनपालसिंह नवीनसिंह पुत्र मैनपालसिंह, आरती पुत्री मैनपालसिंह हि. 1/4 हैं । जिनके पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत होना न्यायोचित है । जिसके अनुसार तहसीलदार नीमराना द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत मृतक खातेदार मृतक खातेदार मामनसिंह पुत्र माधोसिंहके विधिक जायज वारिसान् के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 20.01.2020 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार मामनसिंह पुत्र माधोसिंह की विरासतको लेकर है।अपीलांट का कथन है कि ग्राम कुतिना तहसील नीमराना में स्थित उक्त विवादित आराजी में मृतक मामन सिंह के वारिसान् में असल रेस्पोडेन्ट का व उनके पिता का कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नही था क्योकि तेजपाल सिंह अपने ताऊ जगरूप के पास गौद चला गया था। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई पुख्ता दस्तावेज एवं साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं

किया जिससे यह साबित हो सके कि तेजपाल सिंह, जगरूप के पास गौद गया था। चूंकि उक्त विवादित आराजी मृतकमामन सिंह की है और पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार के समस्त जायज वारिसान का अंकन अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमराना द्वारा विधिवत् पटवारी हल्का कुतिना से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार एवं उसका अवलोकन कर वारिसान की जॉच पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ही मृतक खातेदार मामनसिंह पुत्र माधोसिंह के विरासत का नामान्तरकरण जायज वारिसान के नाम खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके रेस्पोडेण्ट्स विधिक अधिकारी हैं क्योंकि पैतृक भूमि के संबंध में विरासत का नामान्तरकरण मृतक खातेदार के समस्त जायज वारिसान् हरपालसिंह पुत्र मामनसिंह हि. 1/4, मिथलेशदेवी पुत्री मामनसिंह हि. 1/4, तारादेवी पत्नि तेजपालसिंह, कर्णसिंह मोहनसिंह पि. तेजपालसिंह, मंजूकंवर पूनमकंवर पुत्रियान तेजपालसिंह हि. 1/4 समान भाग, मन्जू पत्नि मैनपालसिंह, नवीनसिंह पुत्र मैनपालसिंह, आरती पुत्री मैनपालसिंह हि. 1/4 समान भाग कौम राजपूत के नाम दर्ज करने के आदेश के दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमराना का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक हैं। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमराना अलवरका निर्णय दिनांक 10.12.2019 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर